

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

गुंन - 40/16 तारीख 27 जू 25.5.16

उजवान - भोरासी वजाम रामसिंह कै०

दादा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनील कुमार विन्दल सि० ने दादा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। शपथ पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दादा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादीजनों को जरिये सम्मन से तलाब कर पत्रावली दिनांक 8.7.16 को पेश हो।

1241-45
28.5.16

जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.7.16

जनरल पेशी से पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीजं। उपरो प्रतिवादी नं. 4 की ओर से श्री रामगोही शुभा सि० ने वकालतनामा पेश करते समय पाहले डर भीमो पेश किया। प्रतिवादी नं. 2, 3, 5 का पत्र सूद सूचना उपरो नहीं थी उनके विरुद्ध एक पक्षीप कार्यवाही की जाती थी पेश करते वकालतनामा व जबकि दिनांक 24.7.16 को पेश हो।

राजसिंह

1.8.16

वकालत उपरो श्री हंसराम चर्जट सि० ने प्रतिवादी नं. 2, 3 की ओर से वकालतनामा व द. 09 R 7 C PE पेश किया। द. की बकल दिलाई। जोसे जबकि द. दिनांक 6.9.16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभ

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>25.5.17</p> <p>Not Press</p> <p>शमसिंह</p> <p>I 7</p> <p><i>(Signature)</i></p>	<p>प्रार्थना पत्र मिसल तलवी व दावा खारिज करने पेश होने पर पत्रावली तलब की गई। वादी रामसिंह व वादी वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादी इस मुकदमे को खतम नहीं चाहते हैं। इसी उद्देश्य के अन्तर्गत Not Press में दावा खारिज कराना चाहते हैं।</p> <p>ज्ञात: यह दावा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुभाहिका (जुआब) से क्रम होकर दाखिल दफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर टोडाभ (करोली)</p>